

24.6.25

दोनों पक्षों में
समझौता जमानत के
नाम पर एक ही कानून
चलाना नहीं चाहिए
NOT REAS

M. Rupa
(अनाजपुरी)
24/6/25

पतावली बंदी/कमील बंदी के उद्देश्य-पत्र
पर कुछ विधिवत तयारक देना है कुछ
दूसरे कुछ डा. पत्र के अंतर्गत किया जाए
मि दोनो पक्षकारों का आपसी हल
पर रखी जाय हो गए हैं उक्त में
आगे कोई कार्रवाई नहीं पाएगी है
इली हल पर उक्त रविवर कराना
पाएगी है।

उक्त बंदी/कमील बंदी के उद्देश्य-पत्र
के माध्यम पर स्वीकार किया जाता है
बाद बंदी इली हल पर रविवर किया
जाता है पतावली बंदी के समय हो बाद
कमील पतावली विधिक दफतर होने।

उपखण्ड अधिकारी

अलवर

जात एक डा. 10PM हालकृतिक लकिक
..... विधिक विचारण जात के विधिक जाण्ड
विधिक विधिक कांठरी